

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०

Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांक: इ०रा०वि०वि०/कु०स०का०/757/2017

दिनांक 23 अगस्त, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

सत्र 2017-17 की वार्षिक संस्थागत परीक्षाओं के दौरान योजित उड़नदस्तों की आख्याओं के आधार पर सामूहिक नकल में आरोपित व दोष सिद्ध महाविद्यालयों की परीक्षायें परीक्षा समिति के विनिश्चयानुसार निरस्त की गयी थी तथा पुनर्परीक्षा कराने में आने वाले व्ययभार के सापेक्ष उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना आयत किया गया था। उक्त श्रेणी के ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने पुनर्परीक्षा में भारित होने वाले व्यय के दृष्टिगत आरोपित रू० एक लाख का जुर्माना विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दिया है उनकी निरस्त परीक्षायें पत्र से संलग्न परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र/नोडल केन्द्र के विवरण अनुसार दिनांक 31.08.2017 से प्रारम्भ कर सम्पन्न करायी जायेगी। जो महाविद्यालय उक्त जुर्माना दिनांक 30.08.2017 तक नहीं जमा करेंगे उनकी परीक्षा नहीं करायी जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा तथा उनकी सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही प्रचालित की जाएगी।

आदेशानुसार सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यों से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्बन्धित छात्रों को उक्त परीक्षा कार्यक्रम आदि से अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष अपने परीक्षा केन्द्र में उक्त परीक्षायें पूर्ण सुचिता व पारदर्शिता के साथ पूर्व में प्रेषित परीक्षा सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

डा० (साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. परीक्षा केन्द्राध्यक्ष/नोडल अधिकारी, सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र/नोडल केन्द्र
2. प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय।
3. समस्त अधिकारीगण।
4. एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की उक्त कार्यालय ज्ञाप को सम्बन्धित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र/नोडल केन्द्र के कालेज लॉगिन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. निजी सचिव कुलपति जी, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक/कुल सचिव।
7. आदेश पुस्तिका।

(राज बहादुर यादव)
उप कुलसचिव (परीक्षा)